# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

## पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 38 / 2016

अपीलांट

1. फालू पत्नि श्री हनाजी उर्फ हनिया
2. श्रीमती जमना पत्नी श्री मगाजी
3. छोलाराम पुत्र श्री हनिया
4. प्रकाश राज पुत्र श्री हनिया
5. अंसू पुत्री श्री हनिया
6. वटीया पुत्री हनिया
7. नतू पुत्री श्री हनिया
8. सीता पुत्री श्री हनिया
9. गणेश पुत्र श्री मगा
10. लीला पुत्री श्री मगा
11. काली पुत्री श्री मगा
12. सैला पुत्री श्री मगा
13. बॅका पुत्री श्री मगा तमाम जातियान मेगवाल, आयु व्यस्क, निवासीगण खाम्बल, तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री बाबूलाल प्रजापत, पेश गृहणी, जाति कुम्हार, निवासी डी.टी.ओ. ऑफिस के सामने, नवाखेड़ा पोस्ट रामपुरा, तहसील व जिला सिरोही।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही, तह0 व जिला– सिरोही।
3. अना पुत्र नोनीया मेगवाल, जाति मेगवाल, निवासी खाम्बल, तह0 व जिला सिरोही।
4. श्रीमती देवी पत्नी स्व. लसा मेगवाल, जाति मेगवाल, निवासी खाम्बल तह0 व जिला सिरोही।
5. श्रतनी पुत्री स्व. लसा मेगवाल, जाति मेगवाल, आयु नाबालिग निवासी. खाम्बल तह0 व जिला सिरोही जरिये कुदरतीवली माता श्रीमती देवी पत्नी स्व. लसा मेगवाल, जाति मेगवाल, आयु व्यस्क, निवासी– खाम्बल, तह. व जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पेज संख्या 2/5

उपस्थित :–

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
श्री शैतान भाटी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04 व 05 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8-09-2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा बमुकदमा संख्या 139/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट बावजूद नोटिस तामिली एवं सूचना के अनुपस्थित। अपिलांट के अनुपस्थित रहने से इनके द्वारा पेश अपील को ही बहस का आधार मानकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का आदेश पारित जाता है। वकील रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके द्वारा पेश अपील के तथ्यों को बहस मानते हुए कि राजस्व ग्राम खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सिरोही तहसील व जिला सिरोही में अपीलांट के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 546, 548, 550 सहित अन्य नम्बरान की आराजी आयी हूई है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती गंगादेवी के खसरा संख्या 539, 540, 541, 544, 545, 560, 563 खातेदारी कृषि आराजी आयी हुई है। अपीलांट की उक्त खसरा संख्या 546, 548, 550 आराजी में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आने जाने हेतु रास्ता हेतु अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत तथ्यों के आधार पर एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 139/2013 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर किये बगैर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम पालडी पटवार हल्का रामपुरा की सरहद पर स्थित रास्ता से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि मात्र 60 मीटर दूरी पर ही स्थित है। जबकि अपीलांट की भूमि में से 250 मीटर लम्बी दूरी का रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को देना होगा जिससे अपीलांट को देना होगा जिससे अपीलांट को काफी नूकसान होगा। जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। साथ ही पटवार हल्का खाम्बल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 कैम्प गोयली में अपनी मौका व जॉच रिपोर्ट पेश कर स्पष्ट रूप से मौका स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदार आराजी में आने जाने हेतु नजदीकी रास्ता ग्राम पालडी पटवार हल्का रामपुरा में स्थित होना बताया है न कि अपीलांट के खातेदारी आराजी मे से होकर ग्राम खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल में स्थित रास्ता नजदीक पडता है। पटवार हल्का खाम्बल द्वारा प्रस्तुत उक्त मौका व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेकर्ड स्थिति में यह भी स्पष्ट किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर पहूचने के लिये मात्र 60 मीटर लम्बा रास्ता ही देना होगा इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम पालडी पटवार हल्का रामपुरा की सरहद पर स्थित रास्ता जंहा से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि मात्र 60 मीटर दूरी पर ही स्थित है। जबकि अपीलांट की भूमि मे से 250 मीटर लम्बी दूरी का रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को देना होगा जिससे अपीलांट को काफी नुकसान होगा। एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.12.2015 पारित करते समय इस बात पर गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे सर्वथा मनगढन्त व मिथ्या कथन कर राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो काबिले खारिज है चुकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती गंगा देवी ने उक्त आराजी वष 2011 में पूर्व खातेदारों से खरीद की थी, जबकि अपीलांट को उसकी आराजी वारिसान में प्राप्त हुयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी में से खसरा संख्या 539 जो पटवार हल्का खाम्बल व पटवार हल्का रामपुरा की सरहद पर स्थित है इसी खराब भूमि के लगता मात्र 60 मीटर दूरी पर पटवार हल्का रामपुरा में वर्षों पुराना तरमीम शुदा रास्ता मौके व रेकर्ड पर आया हुआ है जो आगे जाकर रामपुरा खाम्बल सडक मार्ग से मिलता है इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी में आने जाने हेतु मात्र 60 मीटर की निकटतम दूरी पर वैकल्पिक रास्ता स्थित होतु हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय आदेश दिनांक 16.09.2016 पारित कर अपीलांट की आराजी में से 250 मीटर लम्बा रास्ता देने का आदेश पारित करने में भारी कानुनी व वाक्यातन त्रुटि की है। अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 551 में जहा अपीलांट का कृषि कुआ स्थित है। उक्त भूमि से करीब 800 फीट पाईप लाईन जमीन की उपरी सतह पर डाली गई है। तथा पशुओं हेतू अवाडा भी बना हुआ है। अपीलांट उक्त पाईप लाईन से ही अपीन भूमि खसरा संख्या 549, 550 व 546 में सिंचाई करता है। इस प्रकार अपीलांट की भूमि में से रेस्पो0 संख्या 1 को यदि अधीनस्थ नयायालय के निर्णय अनुसार 250 मीटर लम्बी दूरी का नया रास्ता दिया जाता है। तो अपीलांट को अपनी उपजाउ भूमि का दो भागों में विभाजन होगा तथा अपनी कीमती भुमि से वंचित होना पड़ेगा जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षती होगी जिसका मूल्यांकन आर्थिक या मौद्रिक रूप से नही किया जा सकता तथा अपीलांट को सदैव बहुविवाद में उलझना पडेगा। अपीलांट गरीब अनुसुचित जाति के काश्तकार है तथा उनका एकमात्र कृषि ही जीविकापार्जन का साधन है, इन तमाम तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सिरोही तहसील व जिला सिरोही में अपीलांट के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 546,

548, 550 सहित अन्य नम्बरान की आराजी आयी हूई है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती गंगादेवी के खसरा संख्या 539, 540, 541, 544, 545, 560, 563 खातेदारी कृषि आराजी आयी हुई है। अपीलांट की उक्त खसरा संख्या 546, 548, 550 आराजी में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आने जाने हेतु रास्ता अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 139/2013 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि का पालन करते हुए निर्णय पारित किया गया। साथ ही निवदेन करते हुए अवगत करवाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवायी गयी मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का खाम्बल की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.03.2015 के अनुसार मौके पर उपस्थित लोगों से रेस्पोडेन्ट के खसरा संख्या 545 तक जाने के रास्ते के बारे मे पूछताछ रकने पर बताया कि रेस्पो0 कभी इधर–उधर के खसरा नम्बरों की भूमि से होकर अपने खातेदारी आराजी में प्रवेश करती है। कभी रास्ता बंद भी होता है। रेस्पो0 को अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु रास्ते की उपलब्धता नही होकर रास्ते की समस्या तो है। एवं रेस्पोडेन्ट के आवेदन के अनुसार खसरा नम्बर 546, 548 व 550 के किनारे किनारे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। मौके पर इस रास्ते में कोई निर्माण आदि भी नही है तथा अप्रार्थीगण(अपीलांट) की भूमि दो भागों में विभाजित भी नही होना पटवारी हल्का खाम्बल ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 03.03.2015 में बताया है। अतः वर्तमान मे प्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) का अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का कोई मार्ग विद्यमान नही है, अतः चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सिरोही तहसील व जिला सिरोही में अपीलांट के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 546, 548, 550 सहित अन्य नम्बरान की आराजी आयी हूई है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती गंगादेवी के खसरा संख्या 539, 540, 541, 544, 545, 560, 563 खातेदारी कृषि आराजी आयी हुई है। अपीलांट की उक्त खसरा संख्या 546, 548, 550 आराजी में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है कि " पटवार हल्का खाम्बल की मौका फर्द दिनांक 03.03.2015 व जबाव नक्शा किश्तवार दिनांक 08.03.2016 जो भू. अ. नि. कृष्णगंज ने मार्फत तहसीलदार, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया(रेस्पोडेन्ट) कभी इधर उधर के खसरा नम्बरों की भूमि में जाकर जाती है कभी रास्ता बंद होता है तो प्रार्थीया(रेस्पोडेन्ट) को रास्ते की समस्या तो है। प्रार्थीया के आवेदन अनुसार खसरा नम्बर 546, 548 व 550 के किनारे किनारे संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है मौके पर इस रास्ते में कोई निर्माण आदि भी नही है तथा अप्रार्थीगणों(अपीलांट) की भूमि दो भागों में विभाजित भी नही होना पटवारी हल्का खाम्बल ने बताया है। तथा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कृषि आराजी में आने–जाने हेतु का स्थाई रास्ता नही होने से उक्त रास्ते की मांग की है।" अतः तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के रेकर्डेड मार्ग अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "bsence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। उक्तानुसार जैर अपील आदेश में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा बमुकदमा संख्या 139/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8-09-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
8-09-2021